डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

पुष्पा पत्नि रामोतार जाति मीना निवासी मण्डेरू तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(वादीया)

बनाम

1. शारदा पत्नि केदार मीना निवासी मंडेरू तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
2. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0ः– 154 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट, व श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व ग्राम मण्डेरू की आराजीयात मे निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	पुष्पा पत्नि रामोतार जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार	262 / 1	0.20 हे0
2	शारदा पत्नि केदार प्रसाद जाति मीना सा0 देह खातेदार हिस्सा–पूर्ण राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा–करीरी	262 / 2	0.20 हे0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....................मुबलिंग............................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15/07/25 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 154 / 2023 दिनांकः— 27.10.2023

पीठासीन अधिकारीः— पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

पुष्पा पत्नि रामोतार जाति मीना निवासी मण्डेरू तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(वादीया)

बनाम

1. शारदा पत्नि केदार मीना निवासी मंडेरू तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
2. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट वादीगण

श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी न0 1

निर्णय दिनांक 15/07/25

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मंडेरू की आराजी ख0न0 262 रकवा 0.40 है0 मे वादीया 1/2 की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा बकिया हिस्से की प्रतिवादीया न0 1 खातेदार काश्तकार है। वर्णित आराजीयात का वादीया व प्रतिवादी न0 1 के मध्य बहामी बटवारा हो रहा है तथा अपने—अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर काश्त कर रही है भूमि का वादीया एवं प्रतिवादी न0 1 के मध्य विधिवत बटवारा नही होने के कारण व प्रतिवादीया के मध्य आये दिन डौल मेड को लेकर विवाद बना रहता है।

बाका दिनांक 10.10.2023 को वादीया ने प्रतिवादीया न0 1 से बमुकाम मंडेरू मे बटवारा कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीया ने बटवारा कराने से साफ इन्कार कर दिया, इसलिये यह वादपत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण बावत तकास्मा **प्राथमिक डिक्री किया** जाकर वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ख0न0 262/0.40 है0 की मुताबिक खातेदारी व कब्जा तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर बाद प्राप्त बटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जावे तथा उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस मे अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को फरमाया जावे। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वादीया के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नही करे तथा ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करे नाही किसी अन्य से करावे, वादीया को बेदखल नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न0 2 तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, प्रतिवादीया न0 1 की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने जबाब काउन्टर क्लेम इस प्रकार पेश किया कि वर्णित आराजीयात ख0न0 262/0.40 मे प्रतिवादीया न0 1 हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीया की आराजी की मौके पर अलग डोल मेढ हो रही है तथा यह भूमि प्रतिवादीया की अन्य भूमि के लगवा है प्रतिवादी की इस भूमि से वादीया का कोई संबध किसी प्रकार का नही है, लेकिन वादीया की नियत मे बदयांति है और वह प्रतिवादीया की भूमि को जबरन हडपना व बेदखल करना चाहती है। प्रतिवादीया दिनांक 08.01.2024 को बोई हुई फसल की रखवाली कर रही थी कि वादीया व उसके परिवारजन आये और प्रतिवादीया को इस भूमि से बेदखल करने की धमकी दी, इसलिये विनायदावा पेश करना आवश्यक हुआ है। इसलिये वादीया को प्रतिवादीया की हिस्से की भूमि मे मजाहमत मदाखलत पैदा नही करने बावत पाबन्द किया जावे। अतः जबाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीया की खातेदारी व कब्जे की भूमि ख0न0 262/0.40 है0 मे 1/2 हिस्से का मुताबिक रिकार्ड व कब्जे के आधार पर बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रतिवादीया के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत पेदा नही करे।

वादपत्र मे तनकीयात कायम की गई, लेकिन वादीया व प्रतिवादीया न0 1 के वकील ने वादपत्र मे साक्ष्य पेश नही कर सीधे की बहस सुनने का निवेदन किये जाने से उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई, उभयपक्ष वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि दावा मुताबिक रिकार्ड व कब्जे के आधार तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:35 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल ग्राम मण्डेरू की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 मे ख0न0 262 / 0.40 है0 मे वादीया 1 / 2 तथा प्रतिवादीया न0 1 हिस्सा 1 / 2 की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उभयपक्ष वकील वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा वादी तथा वकील प्रतिवादी ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम मण्डेरू मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	पुष्पा पत्नि रामोतार जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार	262 / 1	0.20 है0
2	शारदा पत्नि केदार प्रसाद जाति मीना सा0 देह खातेदार हिस्सा–पूर्ण राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा–करीरी	262 / 2	0.20 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/07/25 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:35 IST
Reason: SelfAttested